राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ 10 (ए.सी.आर.) (विविध.) / 242 दिनांकः– 7-5-14

वितीय सलाहकार / मुख्य लेखाधिकारी
वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी एवं
समस्त प्रतिवेदक / समीक्षक अधिकारी

विषयः– अधिनस्थ लेखा सेवा के लेखाकर्मियों के लम्बित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति कर भिजवाने बाबत्।

महोदय,

अधिनस्थ लेखा सेवा सवंर्ग के सहायक लेखाधिकारियों / लेखाकार / क. लेखाकारों में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्षों के बकाया चल रहे है। इस विभाग द्वारा अथक प्रयासों के पश्चात् भी अप्राप्त है जिसके फलस्वरूप पदौन्नति समिति / चयनित पदौन्नति स्वीकृत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः उनकी गोपनीय प्रतिवेदन समय पर भिजवानें की व्यवस्था करावें।

यह भी देखने में आया है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपनी अभियुक्ति पश्चात् सीधे ही निदेशालय को प्रेषित की जाती है जो कि गलत परम्परा है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिवेदक अधिकारी की अभियुक्ति पश्चात् 30 अप्रेल से पूर्व समीक्षक अधिकारी को उनकी अभियुक्ति हेतु प्रस्तुत करें। समीक्षक अधिकारी की अभियुक्ति पश्चात् वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशालय में प्रेषित करें।

प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी अपना नाम, पद एवं कार्यालय की स्पष्ट मोहर लगाकर प्रस्तुत करें।

भवदीया

(वीरबाला जोशी)
निदेशक